पटना में दिनांक–12 फरवरी, 2020 बुधवार को अपराह्न 04:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

गृह विभाग

1.	बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के संगत नियमों में संशोधन की स्वीकृति।	1.	स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

2.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत "बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अमीन संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2020" के गठन के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

3.	मीठापुर से रामगोविन्द सिंह महुली हाल्ट तक रेलवे लाईन के पूर्व में एलिवेटेड/एट ग्रेड पथ (कुल 8.86 कि०मी० लंबाई) निर्माण कार्य हेतु रू० 103058.60 लाख (एक हजार तीस करोड़ अन्ठावन लाख साठ हजार) मात्र के प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4.	श्री शंभू शरण, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, कौआकोल, नवादा को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

5.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनियमन –2019 के आलोक में बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याताओं के लिए बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली–2020 के गठन के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

6. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनियमन –2019 के आलोक में बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा के सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक एवं प्राचार्य के लिए बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली–2020 के गठन के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

7. "बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी–शिकायत निवारण नियमावली, 2013" अन्तर्गत बिहार राज्य के सभी जिले में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार में नियुक्त कुल 59 (उनसठ) पीठासीन पदाधिकारियों को दिनांक– 31.03.2020 अथवा नई नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए कार्यरत रखे जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

8. आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के दावों के भुगतान एवं प्रशासनिक व्यय हेतु केन्द्रांश की प्रत्याशा में राज्यांश मद में कुल रू० 55.00 करोड़ (पचपन करोड़ रू०) मात्र की विमुक्ति एवं इस राशि को बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के Escrow Account में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति। — 8. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

9. सारण मुख्य नहर, मढ़ौरा शाखा नहर, कटैया शाखा नहर एवं हथुआ शाखा नहर के सेवा पथ का पक्कीकरण कार्य योजना जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति की राशि रू० 20886.90 लाख (रू० दो अरब आठ करोड़ छियासी लाख नब्बे हजार) को निर्धारित नाबार्ड शीर्ष विपत्र कोड 49–4700800510104 के स्थान पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2019–20 से राज्य योजना अन्तर्गत शीर्ष/विपत्र कोड से शेष रू० 9211.90 लाख (रूपये बानवे करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार) का व्यय भारित करने की स्वीकृति। — 9. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

10. "कटिहार जिलान्तर्गत गंगा नदी के बाँये तट पर केवाला ग्राम से बाघमारा ग्राम तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य (एजेण्डा सं०–133/198)", जिसकी प्राक्कलित राशि 10591.89 लाख रूपया (एक सौ पाँच करोड़ एकायनवे लाख नवासी हजार) मात्र है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।

10. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

11. मधुबनी जिला अन्तर्गत कोसी नदी के दायें किनारे अवस्थित विस्तारित सिकरहट्टा मंझारी निम्न बाँध का परसौनी से महिषा ग्राम तक 4.60 कि०मी० की लम्बाई में निर्माण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रूपये 4191.70 लाख (एकतालीस करोड़ इक्यानवे लाख सत्तर हजार) मात्र है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।

11. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

12. कमला बलान बायां तटबंध के कि०मी० 7.38 (ग्राम टेरहा) कि०मी० 36.60 (ग्राम रखवाड़ी) तथा दायां तटबंध के कि०मी० 40.60 (ग्राम गोपलखा), कि०मी० 47.30 (ग्राम नरूआर), कि०मी० 55.80 (ग्राम कैथवार), कि०मी० 57.50 कि०मी० (ग्राम ककोढ़ा), कि०मी० 71.40 (ग्राम कुमरौल) तथा कि०मी० 79.60 (ग्राम मनसार) के पास ब्रीच क्लोजर कार्य (प्राक्कलित राशि रू० 7410.74 लाख)(चौहत्तर करोड़ दस लाख चौहत्तर हजार) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।

12. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

13. "विक्रमशीला सेतु के डाउन–स्ट्रीम में इस्माइलपुर–बिन्दटोली बाँध के सुदृढ़ीकरण, स्पर सं०–7 एवं स्पर सं०–8 का पुनर्स्थापन, स्पर सं०–5 से 5N1, 5N1 से 5N2, स्पर सं०–6N एवं 7, स्पर सं०–7 एवं 8 के बीच बोल्डर रिभेटमेन्ट कार्य एवं स्पर सं०–1 के डाउन स्ट्रीम में क्षतिग्रस्त रिभेटमेंट कार्य का पुनर्स्थापन कार्य तथा स्पर सं०–7 के सामने शोल हटाने का कार्य" की पुनरीक्षित योजना (एजेण्डा सं०–138/15A) पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹6657.384 लाख (छियासठ करोड़ सन्तावन लाख अड़तीस हजार चार सौ) मात्र है, के पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 13. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2020–21 का वार्षिक वित्तीय विवरण बिहार विधान मंडल के समक्ष एवं तत्संबंधी बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2020 बिहार विधान सभा के समक्ष उपस्थापित करने एवं चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में। — 14. **स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

15. बाढ़ से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन कार्य हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से ₹432.00 करोड़ (चार सौ बत्तीस करोड़ रूपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — 15. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2019–20 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य हेतु 75,14,24,000/–(पचहत्तर करोड़ चौदह लाख चौबीस हजार) रूपये की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति एवं तत्काल 2,00,00,000/–(दो करोड़) विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में। — 16. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

17. राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 27.05.2011 के पश्चात् नियोजित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियत वेतन के स्थान पर 01 जुलाई, 2015 से अनुशंसित वेतनमान् के समतुल्य वेतनानुदान देने के संबंध में।	17. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

18. "वित्तरहित शिक्षा नीति" के समाप्ति के उपरान्त निर्दिष्ट मापदण्ड पूर्ण करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर महाविद्यालय) के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सरकारी अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय अन्तर्गत तत्काल ₹6,30,00,00,000/–(छः अरब तीस करोड़) रूपये मात्र की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	18. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2020 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	19. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

20. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2020 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	20. स्वीकृत।